

वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के आस-पास इको-सेंसटिवि ज़ोन चर्चा में क्यों?

पर्यावरण, वन और जलवायु परविरतन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा जारी [वायनाड वन्यजीव अभयारण्य](#) के आस-पास के क्षेत्र को [पर्यावरण संबंधी क्षेत्र](#) यानिको-सेंसटिवि ज़ोन (ESZ) घोषित करने से संबंधित मसौदा अधिसूचना के खिलाफ वायनाड (केरल) में वरीद प्रदर्शन किया जा रहा है।

प्रमुख बाढ़ि:

■ मसौदा अधिसूचना:

- मसौदा अधिसूचना के अनुसार, 118.5 वर्ग किमी क्षेत्र को इको-सेंसटिवि ज़ोन (ESZ) के रूप में चहिनति किया गया है, जिसमें से 99.5 वर्ग किमी क्षेत्र अभयारण्य के बाहर है और शेष 19 वर्ग किमी में अभयारण्य के अंतर्गत आने वाले राजस्व गाँव भी शामिल हैं।
- ESZ के तहत कई मानवीय गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, जिसमें सभी नए और मौजूदा खनन, पत्थर का उत्खनन करने और उन्हें तोड़ने वाली इकाइयों तथा प्रदूषण पैदा करने वाले नए उद्योगों पर प्रतिबंध शामिल हैं।
 - इसमें बड़ी पनबजिली परियोजनाओं की स्थापना और नए आरा मर्लिं, ईंट भट्टों की स्थापना तथा ESZ के भीतर काष्ठ ईंधन के व्यावसायिक उपयोग पर प्रतिबंध भी शामिल है।
- इसके अलावा, संरक्षित क्षेत्र की सीमा या ESZ की सीमा (जो भी पास हो) तक, 1 किमी. के दायरे में कोई भी नया वाणज्यिक होटल और रसिंरेट खोलने की अनुमतिनहीं दी जाएगी।
- यह अधिसूचना राज्य सरकार के सकृदम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बनियां नजिकी भूमि में भी वृक्षों की कटाई पर रोक लगाता है।

■ अधिसूचना का उद्देश्य:

- यह वन्यजीव अभयारण्य के आस-पास नविस करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि [वन्यजीवों के हमलों](#) की बढ़ती घटनाओं के कारण वनों की सीमाओं पर रह रहे कसिानों को सर्वाधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
 - पछिले 38 वर्षों के दौरान वन्यजीव हमलों के कारण ज़लिं में 147 लोगों की मृत्यु हुई है।


■ मुद्दे:

- वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थिति 57 गाँव इको-सेंसटिवि ज़ोन के अंतर्गत आते हैं।
- आलोचकों द्वारा यह तरक्क दिया जा रहा है कि मसौदा अधिसूचना ज़लिं में कृषिओं और व्यवसाय दोनों क्षेत्रों को प्रभावित करेगी, क्योंकि यह अधिसूचना वाहनों के आवागमन पर अंकुश लगाती है।
- यह अधिसूचना अभयारण्य सीमाओं पर नविस कर रहे हज़ारों कसिानों के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करेगी。
 - अभयारण्य के कनिरों पर स्थिति 29,291 एकड़ नजिकी भूमि ESZ के अंतर्गत आ जाएगी, परणिमस्वरूप इस क्षेत्र का विकास हमेशा के लिये अवरुद्ध हो जाएगा।

वायनाड वन्यजीव अभयारण्य (Wayanad Wildlife Sanctuary)

- अवस्थिति:** केरल राज्य के वायनाड ज़लिं में अवस्थिति वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, [मुकुरथी राष्ट्रीय उद्यान](#) और साइलेंट वैली के साथ [नीलगरी बियोस्फीयर रजिस्टर](#) का हसिसा है।
 - इसका क्षेत्रफल 344.44 वर्ग किमी है जिसमें चार वन रेंज सुलतान बथरी (Sulthan Bathery), मुथांगा (Muthanga), कुरचिअट (Kurichiat) और थोलपेट्टी (Tholpetty) शामिल हैं।
 - यह कर्नाटक के उत्तर-पूर्वी भाग में [बांदीपुर टाइगर रजिस्टर](#) और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जैसे अन्य संरक्षित क्षेत्रों के साथ दक्षणि-पूर्व में तमिलनाडु के [मुदुमलाई टाइगर रजिस्टर](#) को पारस्थितिक और भौगोलिक निरितरता (Ecological And Geographic Continuity)

- प्रदान करता है।
- कबनी नदी ([कावेरी नदी](#) की एक सहायक नदी) अभ्यारण्य से होकर बहती है।
- स्थापना: इसे वर्ष 1973 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था।



• जैव-विविधिता:

- यहाँ पाए जाने वाले वन प्रकारों में दक्षणि भारतीय नम प्रणाली वन, पश्चिमी तटीय अरदध-सदाबहार वन और सागौन, नीलगिरी तथा ग्रे-वेलया आदि शामिल हैं।
- हाथी, गौर, बाघ, चीता/पैथर, सांभर, चतुर्तीदार हरिण, कांकड़ (बारकगि डियर), जंगली सूअर, सुस्त भालू या स्लॉथ बीयर, नीलगिरि लंगूर, बोनट मकाक, साधारण लंगूर, जंगली कुत्ता, उदबलिाव, मालाबार वशिल गलिहरी आदि हाँ पाए जाने वाले प्रमुख स्तनधारी हैं।

• प्र्यावरण संवेदी क्षेत्र (Eco-Sensitive Zones)

- इको-सेंसिटिव ज़ोन या पारस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र प्र्यावरण, वन और जलवायु प्रविरत्न मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कसी संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उदयान और वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के अधिस्थिति क्षेत्र हैं।
- इको-सेंसिटिव ज़ोन में होने वाली गतविधियाँ प्र्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत वनियमिति होती हैं और ऐसे क्षेत्रों में प्रदूषणकारी उद्योग लगाने या खनन करने की अनुमति नहीं होती है।
- सामान्य सदिधांतों के अनुसार, इको-सेंसिटिव ज़ोन का वसितार कसी संरक्षित क्षेत्र के आसपास 10 किमी. तक के दायरे में हो सकता है। लेकिन संवेदनशील गलियारे, कनेक्टिविटी और पारस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण खंडों एवं प्राकृतिक संयोजन के लिये महत्वपूर्ण क्षेत्र होने की स्थिति में 10 किमी. से भी अधिक क्षेत्र को इको-सेंसिटिव ज़ोन में शामिल किया जा सकता है।
- मूल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों के आस-पास कुछ गतविधियों को नियंत्रित करना है, ताकि संरक्षित क्षेत्रों की नक्टिवर्ती संवेदनशील पारस्थितिकी तंत्र पर ऐसी गतविधियों के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके।

आगे की राह

- मौजूद प्रदृश्य को देखते हुए प्र्यावरण नीतियों के स्थानीय प्रभावों, नीतियों में स्थानीय भागीदारी के प्रकार एवं संभावनाओं तथा संरक्षण हेतु की जा

रही पहलों के आलोक में वैकल्पिक आय सृजन के अवसरों की संभावनाओं आदि पर पुनर्वचार कर्ये जाने की आवश्यकता है।

स्रोत: द हिंदू

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/eco-sensitive-zone-around-wayanad-wildlife-sanctuary>